



प्रेस नोट जनपद बागपत

जनपद बागपत

दिनांक 09.04.2025

बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-अनुज पुत्र तेजवीर निवासी ग्राम किशनपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-महिपाल पुत्र सभासिंह नि. ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-रवीश खान पुत्र रहीश निवासी ग्राम बिलोचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4-सचिन कुमार पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम कैडवा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थाना रमाला पुलिस टीम ।
- 2-थाना छपरौली पुलिस टीम ।
- 3-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम ।





प्रेस नोट प्रेस नोट
थाना कोतवाली बागपत दिनांक 09.04.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 758/24 धारा
333/131/115(2)109 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.09.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.सहदेव, 2.शिवा पुत्र सहदेव, 4.सुमित उर्फ छोटू पुत्र सहदेव, एक महिला व अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदिका के घर में घुसकर अपने हाथों में लिए हथियारो लाठी-डंडो से मारपीट की गई जिससे आवेदिका व उसके परिवारजन को गंभीर चोटे आई है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत मु0अ0सं0 758/24 धारा 191(2)/191(3)/333/131/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 758/24 धारा 333/131/115(2)109 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 01.02.2025 को 02 अभियुक्तों 1.टीनू पुत्र सहदेव व 2.सुमित उर्फ छोटू पुत्र सहदेव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शिवा पुत्र सहदेव निवासी ग्राम लधवाडी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1-उ0नि0 श्री रोशनलाल थाना बागपत जनपद बागपत

2-है0का0 632 विनोद कुमार थाना बागपत जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 09.04.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 24/25 धारा 109/115(2)/351(2)/352 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.02.25 को थाना रमाला पर वादी श्रवण पुत्र तिरपाल निवासी बसी थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.योगेश, 2.नरेश पुत्रगण ब्रजपाल, 3.बिटटू पुत्र सोनू व एक महिला निवासीगण ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत के द्वारा एक



राय होकर लाठी-डन्डो व धारदार हथियारों से वादी की बहन के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की नियत से सिर पर वार किया जिससे वादी की बहन गम्भीर रूप से घायल हो गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 24/25 धारा 109/115(2)/351(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कायवाहा:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा अथक प्रयास के बाद मु0अ0सं0 24/25 धारा 109/115(2)/351(2)/352 बीएनएस से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त गिरफ्तारी के संबन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना रमाला पुलिस द्वारा दिनांक 02-02-2025 को 01 अभियुक्त योगेश पुत्र ब्रजपाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-नरेश पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत।
- 2-बिडू पुत्र सोनू उर्फ सोहनवीर निवासी ग्राम बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री केदार सिंह थाना रमाला जनपद बागपत
- 2-है0का0 533 धीरेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत
- 3-का0 813 दोसेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत





प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर दिनांक 09.04.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सि अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है । इस संबंध मे थाना हाजा पर मु0अ0स0 128/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजिकृत किया गया ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तालिब पुत्र निजामुद्दीन निवासी मदीना कालौनी थाना सिविल लाईन जनपद मुजफ्फरनगर हाल पता ग्राम तिलपनी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 127/25 धारा 303 (2) कीपुस्तक थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2. मु0अ0सं0 70/24 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपता।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपता।

2-है0का0 546 विपिन सिरौही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपता।

3-का0 1068 प्रवीण कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपता।

